आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Special Assistance Department

Financial Assistance to Family Members of SC and ST Atrocity Victims (Maharashtra)

जाति आधारित हिंसा का सामना करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के परिवारजनों के लिए आर्थिक मदद।

क्या मिल सकता है

पेज पर मामले के अनुसार Rs 0.85 लाख से Rs 8.25 लाख तक की सहायता लिखी है।

किसके लिए है

दर्ज अत्याचार मामलों के SC या ST पीड़ितों के परिवारजन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य शर्तें

- अपराध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 या SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में दर्ज हो।

दस्तावेज़

- जाति प्रमाणपत्र (सभी मामलों में ज़रूरी)
- चिकित्सा प्रमाणपत्र (संबंधित अपराधों में)

आवेदन कैसे करें

1. अपने जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण से संपर्क करें।
2. कार्यालय के बताए अनुसार दस्तावेज़ जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sjsa.maharashtra.gov.in/en/scheme/scheme-for-providing-financial-assistance-to-family-members-of-scheduled-castes-and-scheduled-tribes-victims-of-atrocities/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-atrocity-victim-family-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।